महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रु.वि. / सम्बद्धता / 2024 / 14438–41 दिनांक : 24.10.2024

सेवा में,

समस्त प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / प्रबन्धक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध–राजकीय / संघटक / अनुदानित / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय– विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2025–नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रभावी रणनीति।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बरेली के संलग्न पत्रांक : 3027 / 29–2–स्वीप (2024), दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 को किया जाना है। दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28.11.2024 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये।

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक **कोआर्डिनेटर एवं हेल्पडेस्क** की स्थापना कराते हुए कोआर्डिनेटर का नाम एवं मोबाईल नम्बर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त कार्य में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) का विशेष सहयोग लिया जाये और शैक्षणिक संस्था में एन.एस.एस. कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।

अतः कृपया उक्त के क्रम में पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

उप–कुलसचिव
(प्रशा0 / सम्ब0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण / चीफ प्राक्टर / क्रीड़ा सचिव / समस्त निदेशक / समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली–मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना को इस आशय से प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप कुलसचिव (प्रशासन / सम्बद्धता)
10. उप कुलसचिव (परीक्षा / गोपनीय)
11. निजी सचिव–कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाईट।
13. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव।

उप–कुलसचिव
(प्रशा0 / सम्ब0)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बरेली।

पत्र संख्या 3027 /29-2-स्वीप (2024) दिनांक 18 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

1. रजिस्ट्रार, रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2. रजिस्ट्रार, श्रीराम मूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज, बरेली।
3. रजिस्ट्रार, श्रीराम मूर्ति स्मारक इंजीनियरिंग कालेज, बरेली।
4. रजिस्ट्रार, राजश्री मेडिकल कॉलेज, बरेली।
5. रजिस्ट्रार, इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद-बरेली।
7. जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केन्द्र/स्वीप को-आर्डीनेटर, बरेली ।
7. प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा(लीड बैंक), बरेली ।
8. पोस्टमास्टर जनरल, हेड पोस्ट आफिस, बरेली ।
9. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी, बरेली ।
10. प्रभारी अधिकारी ग्रुप हैड क्वाटर एन0एस0एस0/एन0सी0सी, बरेली।
11. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

विषयः- विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024-नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 953/सी0ई0ओ0-4-15/4-2024 दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29.10.2024 को किया जाना है। दावे और प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28.11.2024 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाये।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

1. समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक 'कोआर्डिनेटर' एवं 'हेल्पडेस्क' की स्थापना करायी जाये तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाये। प्रत्येक कक्षा के लिए फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जायेगा ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

2. संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि किसी कठिनाई की दशा संबंधित से सम्पर्क कर सकें।

3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।

4. प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को 'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष' के रूप में स्थापित किया जायेगा। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग

करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

5. अवगत है कि युवा मतदाता सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा वोटर सर्विस पोर्टल को प्रमोट किया जा सकता है,जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके।

6. कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा अर्हता तिथि 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है:–

A.

क्र0सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC (मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0 /आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2.			

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फॉर्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नाम:
पता:
मो0नं0--.......................

7. दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है, अतः दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तहसील स्तर पर किसी बड़े कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित करके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करेंगे। इसी प्रकार बूथ स्तर पर बी0एल0ओ0 द्वारा आयोजित किये जायेंगे और रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारम्भ कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कॉलेजों में भी अन्य जिला /तहसील स्तरीय अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु भेजा जायेगा।

8. जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनके फॉर्म–6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हेतु फार्म–8 का उपयोग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकल्पित है कि 24 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह व्यक्तियों का नाम देश अथवा प्रदेश की किसी न किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होने की प्रबल सम्भावना है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए।

9. समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट ऑफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाये, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।

10. मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों/एसोशिएसन तथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाये एवं उनके माध्यमसे भी इसका प्रचार–प्रसार कराया जाये।

11. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर उनसे समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल एजेण्ट की तैनाती किए जाने का अनुरोध कर लिया जाए।

12. समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाये एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जाये।

13. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक है, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग–अलग तिथियां निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित करवाकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन करायें। इन कार्यक्रमों का स्वीप योजनान्तर्गत फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाये तथा स्थानीय टीवी चैनलों एवं स्थानीय समाचार पत्रों/संस्करणों में इससे संबंधित कवरेज कराया जाये।

14. दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को कार्यक्रम के शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया/फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कॉपियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्वीप अनुभाग–6 के ई–मेल आईडी ceoupsection6@gmail.com पर भेजी जायेगी।

15. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेण्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।

16. दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सेलेक्टिव फुटेज) जिले के फेसबुक एकाउण्ट पर अपलोड किये जायेंगे, ताकि जन सामान्य भी उन्हें देख सकें।

17. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ–साथ इसे भी जोड़ने का कष्ट करें और यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाये।

18. इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28.11.2024 तक है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने सम्बन्धी कार्यवाहियां दिनांक 28.11.2024 तक कर लें, ताकि सभी नये मतदाताओं को ससमय मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
बरेली।

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय बरेली को सादर सूचनार्थ।
2–मुख्य विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी स्वीप महोदय, बरेली की सेवा में सादर प्रेषित।
3–क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, बरेली को इस निर्देश के साथ अपने अन्तर्गत आने वाले समस्त डिग्री कालेजो में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक 'कोआर्डिनेटर' एवं 'हेल्पडेस्क' की स्थापना कराई जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
4–जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली को इस निर्देश के साथ अपने अन्तर्गत आने वाले समस्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजो में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक 'कोआर्डिनेटर' एवं 'हेल्पडेस्क' की स्थापना कराई जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

(संतोष बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
बरेली।

महत्वपूर्ण / ई–मेल / स्पीडपोस्ट

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ, हजरतगंज, लखनऊ–226001

संख्या–953 / सी0ई0ओ0–4–15 / 4–2024 (टी0सी0) लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

विषय: <u>विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2025–नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।</u>

महोदया / महोदय,

अवगत हैं कि आयोग के निदेशानुसार अर्हता तिथि 01–01–2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 29–10–2024 को किया जाना है। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28–11–2024 तक है। अतः सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से आवश्यक है कि इस पुनरीक्षण में युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक संख्या में मतदाता सूची में सम्मिलित कराने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:–

1. समस्त राजकीय / सहायता प्राप्त / निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक **'कोआर्डिनेटर'** एवं **'हेल्पडेस्क'** की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी करा दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जायेगा ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्थाओं की फार्मों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये उन्हें आवश्यक संख्या में फार्म उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
2. संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके टेलीफोन नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह संबंधित से सम्पर्क कर सकें।
3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाना उपादेय होगा।
4. प्रत्येक कालेज के एक कक्ष को **'वोटर रजिस्ट्रेशन कक्ष'** के रूप में स्थापित किया जायेगा। जिसमें कालेज में उपलब्ध संसाधनों (कम्प्यूटर, यूपीएस एवं इण्टरनेट कनेक्टिविटी इत्यादि) का उपयोग करके अर्ह मतदाताओं का ऑन लाइन पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
5. अवगत है कि युवा मतदाता, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सहज रहते हैं, अतः वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter helpline app) तथा वोटर सर्विस पोर्टल (Voter service portal) को बढ़ावा (promote) दिया जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में सभी अर्ह मतदाताओं से ऑनलाइन फार्म प्राप्त हो सके।
6. कालेज के सभी छात्र–छात्राओं से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा कि मेरे परिवार में 18 वर्ष की उम्र वाले सभी सदस्यों का मतदाता फोटो पहचान पत्र बन गया है तथा अर्हता तिथि 01.01.2025 को 18 वर्ष

की आयु पूर्ण कर रहे सदस्यों द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु फार्म भर दिया गया है:–"

A.

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	EPIC(मतदाता फोटो पहचान पत्र) सं0/आवेदन किये जाने की तिथि
1			
2	.		

B. इसके अतिरिक्त मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम अन्य स्थान (एक से अधिक स्थान) पर मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तथा यदि पूर्व में मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम एक से अधिक स्थान पर मतदाता के रूप में दर्ज रहा है तो ऐसे एक से अधिक स्थान से नाम विलोपित किए जाने के सम्बन्ध में फार्म–7 भरकर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिए जाने की कार्यवाही कर ली गयी है।

हस्ताक्षर

परिवार के मुखिया का नामः
पताः
मोबाइल नं0....................

7. दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन किया जाना है, अतः दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को जिला निर्वाचन अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि कृपया जिला मुख्यालय के किसी बड़े कालेज में एक कार्यक्रम आयोजित करके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ करेगें। इसी प्रकार के कार्यक्रम तहसील स्तर पर, उप जिलाधिकारी द्वारा तथा बूथ स्तर पर बीएलओ द्वारा आयोजिम किये. जायेंगें और रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारम्भ कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कालेजों में भी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी/सेक्टर अधिकारियों को पंजीकरण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु भेजा जायेगा।

8. जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उनके फार्म–6 एवं इसके अतिरिक्त अन्य अर्ह मतदाताओं एवं विशेष तौर पर 24 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के नाम जोड़े जाने हेतु फार्म–8 का उपयोग कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें। प्रकल्पित है कि 24 वर्ष से अधिक आयु के अर्ह व्यक्तियों का नाम देश अथवा प्रदेश की किसी न किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होने की प्रबल सम्भावना है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए।

9. समस्त राजकीय विभागों/अर्धसरकारी संस्थाओं/बैंक/पोस्ट आफिस में मतदाता रजिस्ट्रेशन से संबंधित व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय, जिससे कोई अर्ह मतदाता रजिस्ट्रीकृत होने से रह न जाए।

10. मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम के लिये समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों में उनके प्रतिनिधियों/एसोशियेसन यथा व्यापार मण्डल, उद्योग संगठनों, सिविल सोसाइटी तथा गैर सरकारी संगठनों का सहयोग प्राप्त किया जाय एवं उनके माध्यम से भी इसका प्रचार–प्रसार कराया जाय।

11. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर, उनसे समस्त पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल एजेंट की तैनाती किए जाने का अनुरोध कर लिया जाय।

Scanned with OKEN Scanner

12. समस्त प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की प्रेस ब्रीफिंग कर उन्हें उपरोक्त व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया जाय एवं नियमित अन्तराल पर प्रेस विज्ञप्तियां जारी की जायें।
13. दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक है, की अवधि में जिले के प्रमुख संस्थानों में अलग-अलग तिथियां निर्धारित करके जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एक कार्यक्रम आयोजित कराकर पात्र मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन करायें। इन कार्यक्रमों का स्वीप योजनान्तर्गत फोटो/वीडियो कवरेज कराया जाय तथा स्थानीय टीवी चैनलों एवं स्थानीय समाचार पत्रों/संस्करणों में इससे संबंधित कवरेज कराया जाय।
14. दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को कार्यक्रम के शुभारम्भ एवं अन्य दिवसों में आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों के मीडिया/फोटो कवरेज की हार्ड एवं साफ्ट कापियां मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के स्वीप अनुभाग, अनुभाग-6 के ई-मेल आईडी **ceoupsection6@gmail.com** पर भेजी जायेंगी।
15. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का व्यापक भ्रमण कर आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और यह देखेंगे कि प्रत्येक पोलिंग सेन्टर पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध है।
16. दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 के कार्यक्रम के चुने हुये वीडियो (सलेक्टिव फुटेज) जिले के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपलोड किये जायेंगे ताकि जन सामान्य भी उन्हें देख सकें।
17. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ इस भी [illegible] का कष्ट करें और यह सुनिश्चित करायें कि प्रत्येक ग्राम, कस्बे व शहर स्तर तक एवं पात्र समस्त मतदाताओं तक पुनरीक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र पहुँच जाय।
18. इस पुनरीक्षण में दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 28.11.2024 तक है अतः जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह अनुरोध है कि सभी अर्ह मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने सम्बन्धी कार्यवाहियां दिनांक 28.11.2024 तक कर लें, ताकि सभी नये मतदाताओं को समयान्तर्गत मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जा सके।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

संख्या:953(1)/सी0ई0ओ0-4-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

(सुनीता सिंह)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी।